

क्या जिम्मेदार अधिकारियों के नाक के नीचे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में करोड़ों का हुआ इंसेटिव घोटाला?

कोरिया जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिला इंसेटिव फिर कहां गया इंसेटिव का पैसा? आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा...सरकार ने तो समय पर दिया स्वास्थ्य कर्मियों को पैसा फिर भी क्यों नहीं मिला इंसेटिव आखिर कहां खर्च हुआ पैसा?

-रवि सिंह-
कोरिया, 19 मार्च 2025
(घटती-घटना)।

क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोरिया जिले के लिए बना भ्रष्टाचार का केंद्र? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आने वाले पैसे को आखिर किसने दिया घोटाले का रूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना बड़े पैमाने पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हुई थी, पर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कई जिलों में यह विभाग अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन गया, जो भ्रष्टाचार व घोटाले के लिए प्रसिद्ध पा रहा है जो जानकारी अभी आई है वह चौंकाने वाली है जहां जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वितरित किए जाने वाले इंसेटिव और अन्य प्रोत्साहन राशि में बड़े घोटाले का मामला सामने आया। बार-बार शिकायत के बावजूद न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही बकाया राशि जारी की गई। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर आया हुआ पैसा गया का आखिर किसने प्रोत्साहन राशि के पैसे को डकार लिया?



पोड़ी और सोनहत के स्वास्थ्य कर्मियों को पूरे वित्तीय वर्ष का इंसेटिव नहीं मिला, जबकि कोरिया जिले से अलग हुए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में लंबित भुगतान जारी कर दिए गए। बार-बार शिकायत के बावजूद न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही बकाया राशि जारी की गई। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर आया हुआ पैसा गया का आखिर किसने प्रोत्साहन राशि के पैसे को डकार लिया?



आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा:करोड़ों की राशि गायब

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से करोड़ों रुपये की मांग की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी भी दी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों तक यह राशि पहुंची ही नहीं।

शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

बचरा पोड़ी और सोनहत सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने कई बार अपनी लंबित राशि के लिए शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते रहे। अधिकारियों का कहना है कि यह उनके कार्यकाल का मामला नहीं है, जबकि राशि 2023-24 में आई थी और उसी समय वितरण हो जाना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि अन्य जिलों में बकाया भुगतान हो चुका है, लेकिन कोरिया जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक उनका हक नहीं मिला।

कहां गई करोड़ों की राशि?

यह मामला अब बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएचएम से समय-समय पर करोड़ों रुपये की मांग की गई और राज्य सरकार ने इसे जारी भी किया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों तक नहीं पहुंचा। यह पूरी राशि कहां और कैसे खर्च हुई? स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लेकर राज्य स्तर तक शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि क्या इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या स्वास्थ्य कर्मियों को उनका हक मिलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

कब-कब मांगी गई राशि और कब मिली?

तत्कालीन सीएमएचओ कोरिया द्वारा विभिन्न तिथियों में एनएचएम से राशि की मांग की गई, इस राशि को विभिन्न प्रोत्साहन भुगतान और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में देने की बात कही गई थी।


तिथि	मांगी राशि (₹)
28 अगस्त 2023	5 करोड़
23 अक्टूबर 2023	1 करोड़
22 मार्च 2024	1 करोड़
राशि कहां और कैसे खर्च की गई?	
वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर द्वारा कोरिया जिले को करोड़ों रुपये जारी किए गए...इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को उनका हक नहीं मिला...जिससे संदेह गहरा गया है कि यह राशि कहां और कैसे खर्च की गई?	
जिनमें प्रमुख रूप से...	
1 सितंबर 2023	5.23 करोड़
10 अक्टूबर 2023	7.60 करोड़
26 नवंबर 2023	9 करोड़
28 नवंबर 2023	9.80 करोड़
27 दिसंबर 2023	10.33 करोड़
7 मार्च 2024	1.60 करोड़
27 मार्च 2024	1 करोड़
28 मार्च 2024	65 लाख

ग्रामीण चिकित्सा सहायकों की रात्रिकालीन ड्यूटी पर आपत्ति, संघ ने सीएमएचओ को निर्देशित करने की मांग की

आर.एम.ए. एसोसिएशन का विरोध, उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर ड्यूटी से राहत देने की अपील

-रवि सिंह-
कोरिया, 19 मार्च 2025
(घटती-घटना)।

जिले में ग्रामीण चिकित्सा सहायकों (आर.एम.ए.) की रात्रिकालीन एवं आपातकालीन ड्यूटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ आर.एम.ए. एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया को निर्देश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को केवल प्राथमिक चिकित्सा एवं स्थिरीकरण के लिए ही तैनात किया जा सकता है, जबकि उन्हें जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में रात्रि ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। आर.एम.ए. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार-बार आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को आपातकालीन मामलों, एमएलसी केस और गंभीर रोगियों के इलाज का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी ड्यूटी में लगाने से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना बनी रहती है।



जिले में ग्रामीण चिकित्सा सहायकों (आर.एम.ए.) की रात्रिकालीन एवं आपातकालीन ड्यूटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ आर.एम.ए. एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया को निर्देश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को केवल प्राथमिक चिकित्सा एवं स्थिरीकरण के लिए ही तैनात किया जा सकता है, जबकि उन्हें जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में रात्रि ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। आर.एम.ए. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार-बार आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को आपातकालीन मामलों, एमएलसी केस और गंभीर रोगियों के इलाज का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी ड्यूटी में लगाने से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना बनी रहती है।

सिविल अस्पताल और जिला अस्पतालों में ड्यूटी पर लगाया जा रहा है।

संभावित जोखिम और विवाद की स्थिति

संघ के अनुसार, गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान चिकित्सा अधिकारियों की जरूरत होती है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को ऐसी स्थिति में तैनात करने से न केवल मरीजों की जान को खतरा होता है, बल्कि विवाद की भी संभावना बनी रहती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां रोगियों के परजन अक्रोशित हो जाते हैं और हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। संघ ने यह भी कहा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में लगाकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

मंत्रों से हस्तक्षेप की मांग

संघ ने स्वास्थ्य मंत्रों से मांग की है कि ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ही ड्यूटी दी जाए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में रात्रिकालीन एवं आपातकालीन ड्यूटी से मुक्त किया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस संबंध में उचित निर्देश नहीं दिए गए, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और संघ की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी का हुआ चयन, अजय बने प्रदेश उपाध्यक्ष तो शैलेंद्र बने प्रदेश मंत्री

-संवाददाता-
कोरिया, 19 मार्च 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए अजय गुप्ता और प्रदेश मंत्री पद के लिए शैलेंद्र शर्मा का निर्वाचन सर्वसम्मति से चयन किया गया है। उनके इस महत्वपूर्ण पद पर चयन से कोरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों, व्यापारियों और इष्टमित्रों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। कोरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने दोनों पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की। व्यापारिक समुदाय ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में व्यापारिक हितों को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के व्यापार को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर व्यापार जगत के कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्री अजय गुप्ता और श्री शैलेंद्र शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि वे व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान और उदरक हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे।



घटती-घटना खबर का असर...रिश्वतखोरी के आरोपी के जांच के लिए टीम हुई गठित

रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच पर उठे सवाल, समिति गठन में स्वास्थ्य विभाग में नाराजगी

विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले जांच टीम गठित

क्या CMHO रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे?

विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे? विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

क्या CMHO रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे? विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

-रवि सिंह-
कोरिया, 19 मार्च 2025
(घटती-घटना)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में कार्यरत एक सीएमओ ने विकास खंड प्रबंधक डाटा शिवम गौतम पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता सत्यदीप भगत ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एटी करणपन ब्यूरो को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने रिश्वत न देने पर वेतन रोकने और नौकरी से निकालने की धमकी देने की बात कही है। सारं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ खाते में पैसे का लेनदेन सहित कई तथ्य होने के बावजूद कोरिया के सीएमओ सहब अर्थात् तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाए, यहां तक कि इस मामले के लिए जांच टीम भी गठित नहीं कर पाए, जिसे लेकर दैनिक घटती-घटना ने बड़ी प्रमुखता के साथ 19 मार्च को खबर प्रकाशित किया था जिसके बाद 18 मार्च के डेट पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच टीम गठित की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में विकासखंड डाटा प्रबंधक (सविदा) शिवम गौतम पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित जांच समिति पर सवाल उठने लगे हैं। समिति में शामिल कुछ सदस्यों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से जमे राकेश सिंह (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन, सविदा) और राकेश महिलारंग (सहायक ग्रेड-03) को जांच समिति में शामिल किए जाने पर कर्मचारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों के आरोपों से घनिष्ठ संबंध हैं, जिससे निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि यदि निष्पक्ष जांच करानी है, तो समिति में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका आरोपों से कोई संबंध न हो।

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया (सूरजपुर), 80700

क्या CMHO रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे? विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

क्या CMHO रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे? विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

क्या CMHO रिश्वत लेने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही से घबरा रहे? विकास खंड प्रबंधक पर 84 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में जांच टीम गठित।

स्वास्थ्य विभाग में गहला विवाद, कर्मचारियों में रोष

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी अक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के स्थापना शाखा से जुड़े कुछ पुराने अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रभाव इतना अधिक है कि वे अपने करीबी लोगों को महत्वपूर्ण जांच समितियों में जगह दिलवा देते हैं। इससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद खत्म हो जाती है और मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता है।

कर्मचारी संघ ने की जांच समिति में बदलाव की मांग

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कलेक्टर कोरिया और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि समिति में निष्पक्ष और स्वतंत्र अधिकारियों को शामिल किया जाए, ताकि रिश्वतखोरी के इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

तथा होगा अगला कदम?

स्वास्थ्य विभाग में इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। अब देखना होगा कि क्या उच्च अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देते हैं या फिर जांच समिति को लेकर उठ रहे सवालों के बावजूद उसी रूप में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारी संघ ने संकेत दिए हैं कि अगर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं हुई, तो वे आगे विरोध प्रदर्शन का रख अपना सकते हैं।

